

भाग-III

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मार्च, 2010

संख्या सांका०नि० 7/संवि०/अनु० 309/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (गुप घ) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (गुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (गुप घ) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में,—

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“हिन्दी सहित मिडल पास;”

(ii) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“हिन्दी सहित मिडल पास;”।

धनपत सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT****Notification**

The 3rd March, 2010

No. G.S.R. 7/Const./Art. 309/2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Social Justice and Empowerment Department (Group D) Service Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Social Justice and Empowerment Department (Group D) Service (Amendment) Rules, 2010.

2. In the Haryana Social Justice and Empowerment Department (Group D) Service Rules, 1998, in Appendix B,—

(i) against serial number 3, under columns 3 and 4, for existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Middle pass with Hindi;”

(ii) against serial number 11, under columns 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Middle pass with Hindi;”.

DHANPAT SINGH,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.